भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1658

10.02.2026 को उत्तर के लिए नियत

एसएमईसी योजना

1658. **डॉ. विनोद कुमार बिंदः**

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

श्री शिवमंगल सिंह तोमरः

श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

कैप्टन बृजेश चौटाः

डॉ. निशिकान्त दुबेः

श्री विजय बघेलः

श्री तेजस्वी सूर्याः

श्री रमेश अवस्थीः

श्रीमती कमलजीत सहरावतः

श्री जुगल किशोरः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री यदुवीर वाडियारः

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गीः

श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मार्च 2024 से अब तक देश में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसएमईसी योजना) के अंतर्गत आवेदन करने वाले वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) विनिर्माताओं की राज्य-वार और जम्मू और कश्मीर सहित संघ राज्यक्षेत्र-वार कुल संख्या कितनी है और वे मूल रूप से किस देश से हैं;

(ख) भूमि अधिग्रहण, स्थल विकास, संयंत्र निर्माण या देश में प्रस्तावित या आरंभ की गई ऐसी अन्य परियोजनाओं को पहले ही शुरू कर चुकी अनुमोदित कंपनियों की कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले सहित जिला-वार संख्या कितनी है और कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सहित राज्य-वार कौन से राज्य, मुख्य ईवी केंद्र के रूप में उभर रहे हैं;

(घ) अनुमोदित कंपनियों द्वारा तीसरे वर्ष के अंत तक अनिवार्य 25 प्रतिशत और पांचवें वर्ष के अंत तक 50 प्रतिशत घरेलू मूल्यवर्धन (डीवीए) प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए क्या निगरानी तंत्र अपनाया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और दक्षिण कन्नड़ जिले में घरेलू एमएसएमई को एसएमईसी द्वारा अनुमोदित कंपनियों से जोड़ने के लिए विक्रेता विकास, सहायक विनिर्माण, स्थानीयकरण सहायता और एमएसएमई के लिए संभावित लाभ सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम (एसपीएमईपीसीआई) 15.03.2024 को वैश्विक निवेश आकर्षित करने, भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-चौपहिया) के लिए विनिर्माण हब के रूप में बढ़ावा देने और घरेलू मूल्यवर्धन(डीवीए) को बढ़ाने के लिए अधिसूचित की गई थी। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुमोदित आवेदक को इसकी सुविधा केंद्रों में विनिर्मित किए गए ई-चौपहिया के लिए तीसरे वर्ष के अंत तक न्यूनतम 25% और पांचवें वर्ष के अंत तक न्यूनतम 50% का घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना ज़रूरी है। अनुमोदित आवेदक द्वारा प्राप्त घरेलू मूल्यवर्धन प्रमाणपत्र का अनुवीक्षण भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों द्वारा किया जाता है। स्कीम पोर्टल 24.06.2025 को लॉन्च किया गया था और आवेदन के लिए विंडो 21.10.2025 तक खुली थी, किन्तु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

****